रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –8 ● कानपुर 16 से 30 अप्रैल 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथ कर्तव्यों का निर्वाहन करें– डा0 इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को काम करने का पूरा अधिकार है परन्तु अधिकारिता पूर्वक कार्य करने के लिये चिकित्सकों को अपने दायित्वों का निर्वाहन करना चाहिये यह विचार अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के 35 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा0 मो0 हाशिम इदरीसी ने व्यक्त किये। डा0 इदरीसी ने कहा कि 2004 को एक आदेश के गलत व्याखित होने के कारण हमसब को लगभग 8 वर्षों तक उहा–पोह की स्थिति से गुज़रना पड़ा, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये शासनादेश जारी कर प्रदेश की एकमात्र वैधानिक संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को अधिकार प्रदान कर दिया, हमें अधिकार तो प्राप्त है पर चिकित्सक अभी भी अधिकारों का उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये शासन ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अपनी परिषद से पंजीयन के साथ–साथ जहाँ प्रैक्टिस करनी है उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, डा0 इदरीसी ने बताया कि बोर्ड ने पंजीकृत लगभग सभी 8000 चिकित्सकों के पास पंजीयन के आवेदन का प्रारुप मय शपथ–पत्र के नमूने के साथ डाक द्वारा प्रेषित किया है परन्तु यह बात निराश करती है कि चिकित्सकों ने इस ओर कोई गम्भीरता नहीं दिखायी यह कदापि उचित नहीं है, इस विषय पर चिकित्सकों को गम्भीर होना चाहिये अन्यथा कभी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। डा0 इदरीसी ने इन्सटीट्यूट के प्रबन्धक डा0 आर0 के0 कपूर की सराहना करते हुये कहा कि फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से 35 साल का इतिहास जो आपने जीवन्त किया है उसके लिये आपको बधाई। कार्यक्रम का प्रारम्भ डा0 मैटी के चित्र पर माल्यापर्ण के साथ हुआ तत्पशचात सरस्वती वन्दना सुनवाई गई फिर मंच पर बैठे अतिथियों डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 एस0 आर0 शर्मा, डा0 पाण्डेय, डा0 भटनागर, डा0 आर0 के0 कपूर एवं डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई का स्वागत माला पहना कर किया गया इसके बाद डा0 आर0 के0 कपूर ने इन्सटीट्यूट की गौरव–गाथा से सभी को परिचित कराते हुये भविष्य की योजनायें बतायीं। मंच से बोलते हुये डा0 पाण्डेय ने कहा कि इन 35 वर्षों में हमें जो बोर्ड का सहयोग प्राप्त हुआ है वह आगे भी मिलता रहे इसकी हम अपेक्षा करते हैं कालेज के पूर्व छात्र डा0 विश्व नाथ मिश्रा ने कहा कि चिकित्सकों को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिये पैक्टिस के लिये कुछ नियम हैं उनका पालन करना चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों में बहुत ताकत है इसका लाभ हम सभी को लेना चाहिये, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये इन्सटीट्यूट के पूर्व प्राचार्य डा0 श्रीराम शर्मा ने चिकित्सकों को सलाह दी कि अपना पंजीयन अवश्य करायें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपनी पद्धति ही व्यवहार में लायें, इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इस कार्यक्रम में प्रथम बैच से लेकर वर्तमान बैच के चिकित्सक व छात्र उपस्थित थे यह एक तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथीों की एकजुटता का प्रमाण भी प्रमाणित कर रहा था। कार्यक्रम का सफ़ल संचालन करते हुये डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने चिकित्सकों से कहा कि अधिकार जो आपने माँगे बोर्ड के प्रयासों से वह आपको प्राप्त हुये अब तो बारी आपकी है कि आप अपने दायित्वों को निभांयें ऐसे चिकित्सक जो बिना पंजीकरण के प्रैक्टिस कर रहे हैं वे अपना पंजीयन अविलम्ब बोर्ड से करायें फिर मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन दें और विधि सम्मत ढंग से प्रैक्टिस करें, इस अवसर पर अतिथियों व आये हुये सभी चिकित्सकों को स्मृति–चिन्ह भेंट किये गये, धन्यवाद व कृतज्ञता डा0 आशुतोष कपूर द्वारा दिया गया।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सम्बोधित करते हुये मुख्य अतिथि डा0 एम0 एच0 इदरीसी – छाया गज़ट

कार्यक्रम में पधारे हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकगण – छाया गज़ट

मंच पर बैठे डा0 आर0 के0 कपूर, डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 शर्मा, डा0 पाडेय, डा0 भटनागर बायें एवं दाये खड़े हुये डा0 आशुतोष कपूर एवं डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई – छाया गज़ट

धरने के बहाने

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये पूरे देश में विभिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संगठनों द्वारा तरह–तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं कोई सम्मेलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहा है, कोई लोक सभा और राज्य सभा में सवाल उठवाने की बात करता है और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वे पत्र लिखकर सरकार से माँग करते हैं कि सरकारी काउन्सिल बनाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान की जाये कुल मिलाकर कुछ न कुछ हो ही रहा है, होते रहने से हलचल बनी रहती है, पानी में हलचल बनी रहे तो ठीक है लेकिन जब हलचल ज़्यादा देर तक होती है तो पानी में कीचड़ ऊपर आजाता है और कहा भी जाता है कि कीचड़ में ही तो कमल उगता है। परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस प्रकार के आयोजनों से यदि कमल खिल जाये तो यह लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों का भाग्य होगा, कर्म और भाग्य के सिद्धान्त में तर्क कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं वे कर्म को ही प्रमुखता देते हैं और जो भाग्यवादी होते हैं वे कर्म को एक तरफ़ रखकर केवल भाग्य–भाग्य ही चिल्लाते रहते हैं, कर्म से ही फ़ल मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा से किया हुआ कार्य सदैव सफ़लदायी रहा है और जहाँ पहले ही नकारात्मकता आगयी वहां फ़ल का परिणाम क्या होगा ?इसपर तो सोचना ही नहीं चाहिये। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा एकदम स्पष्ट है और इसमें कोई शंका भी नहीं है कि जो दिशा सरकार ने निर्धारित की है यदि उसपर ही कार्य किया जाये तो मान्यता मिलना कोई दुरुह कार्य नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी कल भी आन्दोलन था, आज भी आन्दोलन है और जबतक पूर्णतः को प्राप्त नहीं हो जाती तबतक यह आन्दोलन बना ही रहेगा। परन्तु यदि इसकी दिशा मोड़ दी गयी तो अच्छे परिणामों के आने में कुछ विलम्ब हो सकता है धरने और प्रदर्शन उस जगह आवश्यक हैं जब सरकार आपकी बात सुन न रही हो ! तब धरनों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है लेकिन जब सरकार ने एक रास्ता तय कर दिया है और यह वादा भी कर लिया है कि जब भी कभी नई विधा को मान्यता प्रदान की जायेगी उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सन्दर्भ अवश्य होगा। इन सारे बिन्दुओं पर चिन्तन करने के बाद सिर्फ़ एक ही बात उभरकर सामने आती है कि मान्यता तो लेनी चाहिये और मिलेगी भी परन्तु इस मान्यता के लिये जो सबसे सरल और आसान तरीका है वह एक मात्र तरीका है काम करते हुये मान्यता की राह प्रशस्त करना लेकिन आजकल हमारे नेतृत्वकर्ताओं में भी राजनैतिक नेताओं की तरह भीड़ और जमावड़ा इकटठा करने का शैक पैदा हो गया है और इसीलिये वास्तविक सफ़लता प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरी एक बात और जो स्पष्ट नज़र आ रही है वह यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नेताओं की बाढ़ सी आ गयी है और इन नेताओं का कद भी स्वयं बढ़ गया है, जिस नेता में जिले स्तर की क्षमता नहीं है वह अपने आपको राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित करने में ज़रा भी नहीं हिचकता है, वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन क्षमताओं के अनुसार ही कद और पद का निर्धारण हो तो अच्छा होता, शायद देश का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ से 5–10 राष्ट्रीय नेता न निकलें हों आज कमी है तो सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी कार्यकर्ताओं की, पहले जहाँ हमारे साथियों के अन्दर यह जुनून हुआ करता था कि बढ़–चढ़ कर काम करें वहीं आज जय–जय कार करवाने की भावना जन्म ले चुकी है, कोई अपने आपको किसी से कम नहीं समझता, किसी की कोई राय मानने को भी तैयार नहीं होता, अपने द्वारा लिये गये निर्णयों पर संशोधन करने में अपनी बे–इज़्ज़ती समझता है, ऐसे वातावरण में जो लोग काम ही करना चाहते हैं वे या तो अलग–थलग पड़ जाते हैं या फिर कुण्ठित हो जाते हैं दोनों ही बातें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में नहीं हैं क्योंकि अभी भी रास्ता बहुत लम्बा है, राह भी आसान नहीं है इसलिये हर कदम को सोच–विचार कर ही उठाना चाहिये एक छोटी सी गलती इलेक्ट्रो होम्योपैथी को काफ़ी क्षति पहुँचा सकती है।

धरनो के माध्यम से हमारे चिकित्सकों के मध्य जागरुकता और सजगता का भाव पैदा करना चाहिये तथा उसे बताना चाहिये कि धरनों से दबाव तो बनता है लेकिन सफ़लता नहीं।

एकजुटता से लें अधिकार

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अधिकारिता की बात हम पिछले दो वर्षो से कर रहे है और अपने चिकित्सकों को बार बार प्रेरित करते है कि जो अधिकार आपको प्राप्त हो गये है उनका आप भरपूर लाभ उठायें लेकिन बार बार लिखने और कहने के उपरान्त भी हमारे चिकित्सकों में अपने अधिकारों के प्रति वह भाव नहीं जाग्रत हो पा रहे है जो होने चाहिये भाव जाग्रत न होने के पीछे क्या कारण है इनके सभी विन्दुओं पर गम्भीरता से चिन्तन किया गया और जो विषय उभर कर सामने आये उनपर कार्य भी किया गया प्रथम दृष्टयता तो यह बात सामने आयी कि शायद हमारे चिकित्सकों के मध्य जागरूकता का अभाव है और यह अभाव इस लिए है चूंकि चिकित्सकों से सीधे संवाद नहीं हो पाता और इसी संवादहीनता के कारण शायद चिकित्सकों तक वह सन्देश नहीं पहुच पाता जो पहुचना चाहिये। इस संवादहीनता को समाप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा कई प्रयास किये गये जिसमें आंशिक सफलता भी मिली लेकिन सफलता को जो प्रतिशत हमें अपेक्षित था वहां तक हम नहीं पहुँच पाये इसलिए इस विन्दु पर पुर्न विचार किया गया तद्परान्त यह निर्णीत किया गया कि प्रत्येक चिकित्सक के पास यह सन्देश पहुँचाया जाये कि आपको अधिकार किस तरह का प्राप्त है और प्राप्त अधिकारों का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है साथ में यह भी बताया गया कि अगर इन अधिकारों का उपयोग आपने नहीं किया तो उसके क्या परिणाम होंगे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करने का पूरा प्रयास किया गया इस हेतु बोर्ड आफॅ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक तक डाक के माध्यम से सूचना भेजी लगभग 6 हजार चिकित्सकों को पत्र प्रेषित किये गये जिसमें अधिकारों के प्रति जागरूकता से सम्बन्धित सभी शासनादेश व जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीकरण हेतु आवश्यक फार्म का प्रारूप मय शपथपत्र के प्रेषित किया गया और चिकित्सकों से अपेक्षा की गयी कि वह इस फार्म को भरकर अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करें और प्राप्ति की रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें । हमारे इस अभियान का प्रभाव तो पड़ा लोगो के मध्य चेतना का पार्दुभाव हुआ और चिकित्सक परस्पर आपस में इस विषय में चर्चा भी करने लगे लेकिन यह महज चर्चा ही रही इस विषय पर कार्यवाही नहीं हुई जब इनके कारणो पर विचार किया गया तो जो तथ्य सामने आये उनका अन्दाजा हमें पहले से ही था यह तो सर्वविदित है कि 4 जनवरी 2012 से पूर्व प्रदेश में जितनी भी संस्थायें काम कर रही थी 4 जनवरी 2012 का आदेश आते ही उनमें हलचल शुरू हो गयी और यह संस्थायें भी अधिकार पाने के लिए विचलित होने लगी। अधिकांश संस्थायें तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से बन्द थी एक सस्था ने नाम बदल कर आदेश पाने का प्रयास किया इसके लिए न्यायालय की शरण ली लेकिन परिणाम वही हुआ जो पहले से तय था अर्थात इस संस्था को भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली इस तरह से प्रदेश में केवल एकमात्र संस्था बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ही शेष है जो पूरे अधिकार के साथ प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्षेत्र में कार्य कर सकती है इस तरह से प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी दो भागों में बट गयी एक तो वह जो अधिकार प्राप्त है दूसरे वह जो अधिकार के लिए संघर्षरत है जिस संस्थाओं को अधिकार नहीं मिला वे अपने आप को जनता के बीच स्थापित रखने के लिए तरह तरह के यत्न करने लगे सबसे पहले तो अपने चिकित्सकों के मध्य विश्वास बना रहे इसलिए उन्होने चिकित्सकों के मध्य तरह तरह के भ्रम फैलाने शुरू कर दिये जब बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने चिकित्सकों के मध्य जा जाकर यह बताना शुरू किया कि प्रदेश में यदि अधिकारपूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करना है तो प्रत्येक चिकित्सक को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन करना आवश्यक है इस विषय पर जब अन्य संस्था संचालकों से चिकित्सकों ने चर्चा की तब उन लोगो ने बडी ही धृष्टता के साथ चिकित्सकों यह कहना शुरू किया कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों ही कराना है चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही इसके लिए कोई कानून है इसलिए किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन नहीं करना है इस तरह से एक ही विषय पर दो अलग अलग तरह की राय चिकित्सकों के मध्य भ्रम पैदा कर गयी दूसरी यह बात भी बहुत तेजी से फैलायी गयी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है और अभी तक किसी भी सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए दिशा निर्देश नही जारी किये गये इसलिए सबलोग अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करो जब कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का वास्तविक अर्थ क्या निकलना चाहिये और उसका प्रस्तुतीकरण किस तरह का किया गया इससे भ्रम पैदा होना आवश्यक ही है। जब अधिकांश लोग किसी एक चीज का विरोध करेंगे और सिर्फ एक व्यक्ति उस चीज का समर्थन करेंगा तो ऐसे विषयों पर यदि दिशा भ्रम हो जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी भी चिकित्सक को यह नहीं भूलना चाहिये कि यदि हमें कोई भी कार्य करना है तो हम जहां यह कार्य करना चाहते है तो वहां पर उस कार्य को करने के लिए आवश्यक व प्रचलित नियम है उनका पालन करना ही होगा जब यह माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए हर चिकित्सक को अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन देना ही होगा। जो चिकित्सक ऐसा नहीं करेगा वह स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जायेगा और न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी भी होगा । अधिकांश चिकित्सक हमारी इस बात से सहमत थे और उन्होने पंजीयन के आवेदन देने का मन भी बनाया तब लोगो ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि अभी आप स्वतन्त्रतापूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करते हुए अपने बच्चो का लालन पोषण कर रहे है यदि आपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कर दिया तो आपका नाम मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अंकित हो जायेगा और विभागीय अधिकारी कभी भी आपके क्लिनिक में छापा मार सकते है और आपके विरूद्ध कार्यवाही कर सकते है। इस तरह की बातो का असर चिकित्सकों पर पड़ा और वह मन ही मन भय ग्रस्त हो गये तथा पंजीयन का आवेदन प्रेषित नहीं किया जब यह बात हमारे तक पहुची हमने इस

धरना देकर मांगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता

पिछले एक वर्ष से महाराष्ट्र की एक संस्था लगातार यह दावा कर रही थी कि एक वर्ष के अन्दर वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिला देगी अपने वायदे को पूरा करने के लिये इण्डियन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिकगनीज़न संघर्ष कमेटी वर्ष पर्यन्त पूरे देश में जगह–जगह कार्यक्रम आयोजित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से मान्यता के लिये समर्थन और सहयोग माँगती रही और चिकित्सकों को यह विश्वास दिलाया गया कि सिर्फ़ यही एक मात्र एंसी संस्था है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये सच्चा संघर्ष कर रही है। कुछ नये लोगों को जोड़ा गया पुरानों को भी साथ लाने का प्रयास किया धीरे–धीरे एक वर्ष पूरा हो गया और 04 अप्रैल, 2016 का वह घोषित दिन भी आ गया जो संस्था द्वारा मान्यता पा लेने के लिये निर्धारित किया गया था मान्यता तो नहीं मिली परन्तु पूरे देश के कई राज्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मान्यता के संघर्ष में अपनी सहभागिता अवश्य दिखायी।

पहले यह कार्यक्रम 3, 4 और 5 अप्रैल, 2016 के लिये प्रचारित किया गया था लेकिन कार्यक्रम मुख्य रुप से 4 अप्रैल को ही सम्पादित हुआ दिल्ली के जन्तर–मन्तर क्षेत्र में एक कैम्प लगा कर धरने का कार्यक्रम सम्पादित किया गया, मंच में विभिन्न राज्यों के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते नज़र आये मंच में लोगों का उत्साह बढ़ाते हुये डा0 पी0 एस0 पाण्डेय सक्रियता के साथ कार्य करते रहे उनके साथ उनके संगठन के साथी भी नज़र आ रहे थे, कार्यक्रम में चिकित्सकों का उत्साह इलाहाबाद से पधारे डा0 प्रमोद शुक्ला भी उत्साह बढ़ाते नज़र आये उनका साथ उनके अनुज डा0 अशोक शुक्ला भी कन्धे से कन्धा मिला रहे थे पर डा0 वी0 कुमार 4 अप्रैल को कार्यक्रम स्थल पर हमारे संवाददाता को कहीं नज़र नहीं आये, हरियाणा के डा0 एन0 डी0 तिवारी भी सक्रिय भुमिका में थे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (इहमाई) के राष्ट्रीय महासचिव डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने भी इस कार्यक्रम में डा0 पी0 एस0 पाडेय के आमन्त्रण का सम्मान करते हुये अपनी सहभागिता की, मंच से जोशीले भाषण हो रहे थे हैदराबाद से पधारे डा0 हाशिम इतने जोश में बह गये कि वह यह भी भूल गये कि मंच से क्या कहना है ?क्या नहीं कहना है ! कोई कुछ भी कहे पर सामने बैठे चिकित्सक केवल आनन्द लेकर चुटकी लेते रहे (शायद उनकी बातों पर कोई गम्भीर नहीं था), एक ओर जहाँ धूप भी अपना प्रभाव दिखा रही थी वहीं प्यास भी लोगों को परेशान कर रही थी लेकिन मान्यता का लोभ ऐसा था कि चिकित्सक कुछ बैठे थे तो कुछ टहल रहे थे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये इहमाई के महासचिव डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने कहा कि मान्यता हम भी चाहते हैं परन्तु मान्यता इतनी आसान नहीं है, इसका आभास हमें है परन्तु हम प्रयास नहीं करें यह भी उचित नहीं है।न्यायालयों के आदेशों का सरकार भी सम्मान करती है तभी तो 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का आदेश जारी किया था हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिये और डट कर कार्य करना चाहिये। सरकार पर दबाव बनाने के लिये धरने और प्रदर्शनों जैसे कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्य भी होना चाहिये इस अवसर पर संस्था द्वारा एक 4 सूत्रीय ज्ञापन भी माननीय प्रधान मंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रेषित किया गया जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचीबद्ध करना, नियमतीकरण न होने तक चिकित्सकों को अधिकारियों द्वारा परेशान नहीं किया जाये, बैधानिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मान्यता दी जाये तथा लोक सभा व राज्य सभा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का बिल लाया जाये।

दिल्ली धरने के मंच पर इहमाई के महासचिव डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई (घेरे में) – छाया गज़ट

दिल्ली धरने के मंच पर इहमाई के महासचिव डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई एवं चिकित्सक गण– छाया गज़ट

धरने की व्यवस्था को नियन्त्रित करती दिल्ली पुलिस – छाया गज़ट

एकजुटता से लें

प्रम को दूर करने के लिए चिकित्सक जागरूकता अधिकारिता अभियान प्रारम्भ किया

.... पेज 2 से आगे

इस अभियान के माध्यम से पंजीयन की महत्ता उपयोगिता व आवश्यकता पर विस्तृत रूप से चिकित्सकों को बताया इससे चिकित्सकों में एक नया उत्साह पैदा हुआ और कुछ चिकित्सकों ने पंजीयन का आवेदन भी किया जो चिकित्सक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय सीधे जाकर पंजीयन के आवेदन से घबरा रहे थे उनको व्यवस्था दी गयी कि वह अपने आवेदन को भरकर स्पीडपोस्ट से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें इसका परिणाम कुछ पड़ा चिकित्सकों ने पंजीयन का आवेदन भेजने प्रारम्भ कर दिये लेकिन अभी भी पंजीयन के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सकों की संख्या काफी कम है हमारे कुछ जिम्मेदार चिकित्सक सीधे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से मिले और उनसे पंजीयन के सम्बन्ध में तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासन द्वारा जारी आदेशो के बारे में चर्चा की तो अधिकांश चिकित्साधिकारियों ने शासनादेश के सम्बन्ध में अनिभिज्ञता जतायी और कुछ लोगो ने आदेश न प्राप्त होने की बात कही और कुछ चिकित्साधिकारियो ने यह कहकर पलड़ा झाड़ लिया कि हमारे पास कोई सीधा आदेश नहीं है इस विषय को बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने गम्भीरता से लिया और प्रयास करना शुरू कर दिये इन प्रयासो का परिणाम यह हुआ कि14 मार्च 2016 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को सीधे आदेशित किया कि वह पूर्व में जो 2 सितम्बर 2013 को जारी आदेश का शासकीय आदेशानुसार पालन करें आज हर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के पास 14 मार्च 2016 का आदेश पहुच चुका है अब हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्साकें की नैतिक जिम्मेदारी यह है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने पंजीयन के आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करें अगर अकेले जाने में भय लगता है तो जनपद स्तर के सभी चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन किसी एक जगह एकत्रित करें और फिर उन आवेदन को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय तक पहुचावें एकजुटता से बड़े बड़े कार्य सम्भव हो जाते है इसलिए हम सब चिकित्सक एक बार अपने लिए एकजुटता का परिचय दें और एकजुट होकर प्राप्त अधिकारों का आनन्द लेने के लिए कर्तव्य के मार्ग पर डट जायें यदि हम सबने ऐसा कर लिया तो यह बात निश्चित रूप से तय हो जायेगी कि प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ अधिकार पूर्वक कार्य करने में पीछे नहीं रहेंगे।

अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति सदैव समर्पित
42वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश कर
मना रहा है
स्थापना दिवस समारोह
दिनांक :– 25 अप्रैल, 2016
दिन :– सोमवार
स्थान :– गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल
अमीनाबाद, लखनऊ
इस अवसर पर
हम स्वागत करते हैं
अपने सभी
चिकित्सकों
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूटों/
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूटों/
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर्स
संचालकों, छात्रों
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमियों
सहित
सभी सम्मानित अतिथियों का
और अपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं
आपके आगमन की
कि
इस शुभ अवसर पर
आपका शुभागमन
कार्यक्रम को नई ऊचांईयां
प्रदान करते हुये
हमें और मज़बूती से
कार्य करने की
ऊर्जा प्रदान करेगा
भवदीय

डा० मो० हाशिम इदरीसी

चेयरमैन एवं सदस्यगण प्रबन्ध कमेटी

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0